

परिपत्र काइसी लिखित छपी  
पत्रांक /आयु०क०उत्तरा०/ वाणि०कर/ विधि—अनुभाग/ 2008-09/ देहरादून। प्रीमिय  
कार्यालय—आयुक्त कर उत्तराखण्ड। (विधि—अनुभाग)  
देहरादून: दिनांक: २० जून—2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

कृपया भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या—745/ दिनांक—30, मई—2008 का आ. 1277(अ)—केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उप—धारा (1) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 जून, 2008 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उप—धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर तीन प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत कर दी गई है।

उक्त अधिसूचना की छाया प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

(एल०एम०पन्त)

आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड। देहरादून।

पृ०प०स० १६५/ दिनांक उक्तः—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3— अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
- 4— एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून / कुमाऊ जोन रुद्रपुर।
- 5— एडीशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6— समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्क कर देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइंट कमिश्नर (विओनु०शा० / प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्रपुर।

- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का काण्ट करें।

10- पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रुडकी।

11- श्री सी0एस0 बनर्जी वाणिज्य कर अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दे।

12- इन्टावैट इन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।

13- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।

14- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।

15- लॉ पब्लिकेशन व्यापार भवन, कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

16- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

17- विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

2016/2008

आयुक्त कर  
राखण्ड. देहरादून।

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଫିଲେ) । ୩୧୯

ନିଜ୍ମାନ \ ପ୍ରଦିତ \ ପ୍ରକଟିତ \ ୧୯୮୫ ଶକ କରାଣିକ (ଓଡ଼ିଆ) ପ୍ରକଟିତ ବିଦ୍ୟାଲୟ

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ

F.No.28/11/2007-ST  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
State Taxes Section  
\*\*\*

New Delhi, dated 5th June, 2008

To

The Commissioners of Commercial Taxes/Sales Tax/VAT of all States/UTs.

**Subject:- Notification regarding reduction of Central Sales Tax from 3% to 2% w.e.f. 1.6.2008.**


Sir/Madam,

Kindly find enclosed herewith a copy of the Notification S.O. No.1277(E) dated 30.5.2008 on the above subject.

2. This is for your kind information and further appropriate action.

Thanking you,

Yours faithfully,


  
(R.G. Chhabra)

Under Secretary to the Government of India.

Tel. 23093068

Copy alongwith copy of the Notification referred to above forwarded to:-

1. Shri Satish Chandra, Member Secretary, Empowered Committee.
2. The Finance Secretaries of all States/UTs.
3. JS(TRU-I), Department of Revenue.
4. JS(TRU-II), Department of Revenue.

  
(R.G. Chhabra)

Under Secretary to the Government of India.

OS  
-6-00



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

का.आ. 1277(अ).—केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956  
(1956 का 74) की धारा 8 की उप-धारा (1) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 जून, 2008 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट कर की तीन प्रतिशत की दर को कम करके दो प्रतिशत करती है।

[सं. 1/2008-के.बि.के.-फा. सं. 28/11/2007-एस.टी.]

आर. जी. छावड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

S.O. 1277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby reduces the rate of tax as specified in sub-section (1) of Section 8 of the said Act from three per cent to two per cent with effect from 1st June, 2008.

[No. 1/2008-CST-F. No. 28/11/2007-ST]

R. G. CHHABRA, Under Secy.

Under Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956  
G. Chapters